न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा–बून्दी (राज0)

वाद संख्या : **36/2021** सन् 2021

पीठासीन अधिकारी :– कमल कुमार मीना

1. कमला बाई पत्नी सेवा उम्र वयस्क जाति काछी निवासी बक्षपुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान।
2. धनराज पुत्र सेवा जाति काछी निवासी बक्षपुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान।
3. बनास बाई पुत्री सेवा जाति काछी निवासी बक्षपुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान।
4. रामप्रकाश बाई पुत्री सेवा जाति काछी निवासी बक्षपुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान।
5. लोकेश पुत्र सेवा जाति काछी निवासी बक्षपुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान।

वादीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 43, 43क, 88, 207 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांकः– 10.08.2021

1. वादीगण के द्वारा दिनांक 09.04.2021 को वाद पत्र प्रस्तुत किया गया।
2. प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है :–

कृषि भूमि खसरा संख्या 153 रकबा 0.4047 हैक्टेयर, खसरा संख्या 154 रकबा 0.6718 हैक्टेयर, खसरा संख्या 159 रकबा 0.2833 हैक्टेयर, खसरा संख्या 163 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, खसरा संख्या 176 रकबा 0.7284 हैक्टेयर, खसरा संख्या 398 रकबा 2.5090 हैक्टेयर किता 6 कुल रकबा 4.7995 हैक्टेयर वाके ग्राम भोपतपुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान मे स्थित है, उपरोक्त भूमि मे वादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जो कि वर्तमान जमाबन्दी से प्रमाणित है। जिसमे वादीगण का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा निहित है। वादीगण उपरवर्णित कृषि भूमि मे निहित हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 1 की जानकारी मे काबिज काश्त है तथा लगान अदा करते चले आ रहे है। वाद वर्णित कृषि भूमि की वर्तमान जमाबन्दी मे निहित वादीगण के हिस्से पर "राहिन भीमा व नाथ्या पिता औकार कोम काछी निवासी नोताड़ा मुबिक का नोट लगा हुआ है। वादीगण ने वाद वर्णित भूमि को कभी भी भीमा व नाथ्या पिता औकार को साधारण या भोग बन्धक के रूप में रहन नही रखी है और नही भीमा व नाथ्या पिता औकार के पास बंधन पत्र भी नही है इसलिए बन्दोबस्त के अभिलेख में प्रविष्टि के आधार पर बंधक की उपधारणा नही की जा सकती है। राजस्व अभिलेख की प्रविष्टियों का केवल उपधारणात्मक मूल्य है पर वे निश्चायक नही है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 1 के यहां पर दिनांक 19–02–2021 को

उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा जिला बून्दी(राज0)

Scanned with CamScanner

इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया कि वाद वर्णित भूमि पर दर्ज रहन के नोट को हटाकर इन्द्राज दुरूस्त किया जावें परन्तु तहसीलदार तालेड़ा ने वादी के उक्त प्रार्थना पत्र को लेने से इन्कार करते हुए नेक सलाह दी कि आप राजस्व न्यायालय मे उक्त इन्द्राज को दुरूस्त करवाने बाबत वाद पेश कर निर्णय उपरान्त उक्त राहिन के नोट को हटाया जावेगा। वादीगण वाद वर्णित भूमि पर स्वत्व रखता है तथा उस पर दर्ज रहिन के नोट को मोचन का अधिकार रखता है। वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि माननीय न्यायालय से वाद वर्णित कृषि भूमि पर दर्ज राहिन के इन्द्राज को हटाकर रहन मुक्त करवाये तथा बंधक मोचन की घोषणा की डिक्री प्राप्त करें तथा राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त कराने के लिए तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित किया जावें। अन्त मे प्रार्थना की गई कि वादीगण का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण को वाद वर्णित तथ्यों के आधार पर खसरा संख्या 153 रकबा 0.4047 हैक्टेयर, खसरा संख्या 154 रकबा 0.6718 हैक्टेयर, खसरा संख्या 159 रकबा 0.2833 हैक्टेयर, खसरा संख्या 163 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, खसरा संख्या 176 रकबा 0.7284 हैक्टेयर, खसरा संख्या 398 रकबा 2.5090 हैक्टेयर किता 6 कुल रकबा 4.7995 हैक्टेयर वाके ग्राम भोपतपुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान मे स्थित भूमि मे वादीगण के संयुक्त रूप से निहित 1/3 हिस्से को बंधक मोचन की घोषणा की जावें तथा तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित किया जावें कि वादीगण के संयुक्त रूप से निहित 1/3 हिस्से के राजस्व रिकार्ड मे दर्ज राहिन भीमा व नाथ्या पिता औकार कोम काछी निवासी नोताड़ा मुबिक के नोट को हटाकर इन्द्रज दुरूस्त किया जावें। अन्य न्यायोचित सहायत जो न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान करने की कृपा करें।

3. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी पेरोकार सरकार ने न्यायालय हाजा मे उपस्थित होकर जवाब दावा पेश किया जिसमे वादीगण के वाद पत्र मे वर्णित तथ्य को अस्वीकार करते हुए न्यायोचित निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

4. वादीगण की ओर से पी.डब्लू 1 के रूप मे लोकेश का शपथ पत्र पेश किया तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे जमाबन्दी संवत 2076, जमाबन्दी सम्वत 2067–70 ग्राम भोपतपुरा, खसरा गिरदावरी सम्वत 2067–70 ग्राम भोपतपुरा पेश की। प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य मे कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया गया।

5. हमने उपयपक्षों की बहस सुनी, पत्रावली का अधोपानत अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि आया वादीगण जमाबन्दी मे दर्ज मुबिक के नोट को मोचन का अधिकार रखते है

उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)

Scanned with CamScanner

इस सन्दर्भ मे पेरोकार सरकार की ओर से ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया जिससे प्रथम दृष्टिया यह प्रमाणित होता हो कि वाद वर्णित भूमि भीमा व नाथ्या पिता औकार के राहिन दर्ज हो। राहिन का दस्तावेज भी पेश नही किया गया। जहां तक वर्तमान जमाबन्दी मे उक्त नोट अंकित होने का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध मे भारू बनाम मुकुट बिहारी 1974 आर.आर.डी. मे यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि राजस्व अभिलेख मे दर्ज मुबिक नोट का केवल उपधारणात्मक मुल्य है और वह निश्चायक नही है। यहां पर पैरोकार सरकार की ओर से राहिन का दस्तावेज पेश नही किया गया है इसलिए उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त के अनुसार वादीगण उपरोक्त मुबिक के नोट को मोचन का अधिकार रखते है। ऐसा ही सिद्धान्त सूर्या और छोट्या बनाम नारायण 1976 आर.आर.डी. पेज नम्बर 281 मे प्रतिपादित किया गया हैं। साथ ही मे अधिनियम की धारा 43 की उपधारा 4 क के अनुसार 1975 के अध्यादेश के द्वारा दिनांक 19–10–1955 (अधिनियम के लागू होने की दिनांक) के बाद किये गये सभी भोग बन्धक दिनांक 06–09–1975 से उनमोचित हो गये जिससे दिनांक 06–09–1975 को विध्यमान सभी भोग बन्धको का विधि के प्रवर्तन से अन्त हो गया। ऐसी स्थित मे वादीगण उपरोक्त भूमि पर दर्ज मुबिक के नोट को मोचन का अधिकार रखते है। उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण अनुसार वादीगण वाद वर्णित भूमि पर दर्ज राहिन के नोट के मोचन का अधिकार रखते है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित किया जाता है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 153 रकबा 0.4047 हैक्टेयर, खसरा संख्या 154 रकबा 0.6718 हैक्टेयर, खसरा संख्या 159 रकबा 0.2833 हैक्टेयर, खसरा संख्या 163 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, खसरा संख्या 176 रकबा 0.7284 हैक्टेयर, खसरा संख्या 398 रकबा 2.5090 हैक्टेयर किता 6 कुल रकबा 4.7995 हैक्टेयर वाके ग्राम भोपतपुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान मे स्थित है, उपरोक्त भूमि मे वादीगण का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा निहित है। वादीगण के हिस्से तक दर्ज राहिन भीमा व नाथ्या पिता औकार कोम काछी निवासी नोताड़ा मुबिक का नोट हटाकर इन्द्राज दुरूस्त किया जावें। पर्चा डिकी जारी हो।

उक्त निर्णय आज दिनांक 10.08.2021 को सरे इज्लास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला बून्दी (राज.)

(कमल कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)

Scanned with CamScanner

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला बून्दी

इजलासः कमल कुमार मीना आर०ए०एस०

1. कमला बाई पत्नी सेवा उम्र वयस्क जाति काछी निवासी बक्षपुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान।
2. धनराज पुत्र सेवा जाति काछी निवासी बक्षपुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान।
3. बनास बाई पुत्री सेवा जाति काछी निवासी बक्षपुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान।
4. रामप्रकाश बाई पुत्री सेवा जाति काछी निवासी बक्षपुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान।
5. लोकेश पुत्र सेवा जाति काछी निवासी बक्षपुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान।

वादीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 43, 43क, 88, 207 आर.टी.एक्ट

36/दावा/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बहहाजरी श्रीनन्दसिंह एड0 मिनजानिब मुदई .. मिनजातिब मुदायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व अंतिम डिक्री जारी की जाती है कि वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित किया जाता है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 153 रकबा 0.4047 हैक्टेयर, खसरा संख्या 154 रकबा 0.6718 हैक्टेयर, खसरा संख्या 159 रकबा 0.2833 हैक्टेयर, खसरा संख्या 163 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, खसरा संख्या 176 रकबा 0.7284 हैक्टेयर, खसरा संख्या 398 रकबा 2.5090 हैक्टेयर किता 6 कुल रकबा 4.7995 हैक्टेयर वाके ग्राम भोपतपुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान मे स्थित है, उपरोक्त भूमि मे वादीगण का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा निहित है। वादीगण के हिस्से तक दर्ज राहिन भीमा व नाथ्या पिता औकार कोम काछी निवासी नोताड़ा मुबिक का नोट हटाकर इन्द्राज दुरूस्त किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी(राज0)

Scanned with CamScanner

नीज.............................. मुबलिक.................................. बाबत...................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व षरह......................... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालात		
स्टाम्प वकालात			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान					

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 10 माह 08 वर्ष 2021 को जारी की गई।

मोहर

उप खण्ड अधिकारी * तालेडा जिला बून्दी (राज.) *

(कमल कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा, जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी (राज0)

Scanned with CamScanner